भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 545
दिनांक 28 नवंबर, 2024

केरल में पेट्रोल पंप का आवंटन

†545. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कन्नूर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की मृत्यु होने के बाद केरल के कन्नूर जिले में विवादास्पद पेट्रोल पंप आवंटन मामले की जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके निष्कर्ष और कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस मामले की जांच और इस आवंटन को रद्द करने की मांग वाली कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): जी नहीं। दिनांक 01.04.2002 से प्रशासित मूल्य व्यवस्था (एपीएम) को विघटित करने के बाद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) स्वयं ही खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरों का चयन करती है/उसे रद्द करती है।

(ग) और (घ): केरल के कन्नूर जिला में चेरनामूला, निदवालूर, श्रीकान्तापुरम में आरओ स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में भारत सरकार द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई है। चूंकि शिकायतें राज्य सरकार के पदाधिकारी से संबंधित हैं, तो शिकायतों को केरल राज्य सरकार को उनके द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित कर दिया गया है।

****